राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

परीक्षा संबंधी दस्तावेजों (डुप्लीकेट अंकतालिका, प्रवजन प्रमाण पत्र इत्यादि) की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के दिशा–निर्देश

1. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016 से स्नातक/स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति/सेमेस्टर पद्धति की डुप्लीकेट अंकतालिकाऐं तथा वर्ष 2008 से नामांकित विद्यार्थियों के प्रवजन प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। **इस हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in के uniraj services- Online payment लिंक पर लॉगिन कर ऑनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है।**

   (अ) यदि विद्यार्थी व्यक्तिशः उपस्थित होकर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क के साथ उक्त लिंक के माध्यम से आवेदन करने की तिथि से अगले कार्य दिवस को प्राप्त कर सकता है।

   (ब) यदि विद्यार्थी अपने निवास स्थान/पहचान पत्र में उल्लेखित पते पर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क मय प्रेषण शुल्क (Postal Charges) रूपये 100/– विश्वविद्यालय वेबसाईट के उक्त लिंक के माध्यम से मय अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, डुप्लिकेट अंकतालिका/प्रवजन प्रमाण पत्र विद्यार्थी द्वारा दिये गये पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर दी जायेगी।

2. ट्रांस्क्रिप्ट हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि शैक्षणिक दस्तावेजों मय पहचान पत्र की एक P.D.F. फाईल वेबसाईट के उक्त ऑनलाईन लिंक पर अपलोड करना अनिवार्य है।

3. ऑनलाईन डुप्लिकेट अंकतालिका/प्रवजन प्रमाण पत्र/ट्रांस्क्रिप्ट प्राप्त करने हेतु अपना पहचान का दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।

4. ऑनलाईन पेमेंट करने से पूर्व फॉर्म नम्बर को नोट करें ताकि ऑनलाईन पेमेंट करते समय यदि पेमेंट विलम्ब या असफल हो तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी संबंधित बैंक से (जिस खाते से पेमेंट कटा है एवं विश्वविद्यालय की अधिकृत बैंक ICICI बैंक, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर) पेमेंट की पुष्टि कर सकें। ऑनलाईन ट्रांजेक्शन असफल (Failed) होने पर ट्रांजेक्शन की पृष्टि के प्रयोजनार्थ आवेदन के समय से 24 घंटे की समयावधि की प्रतीक्षा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी पुनः ऑनलाईन आवेदन करें। संबंधित सम्पूर्ण विवरण पूर्ण रूप से सही भरा जावे अन्यथा उपरोक्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहेगी।

5. विश्वविद्यालय द्वारा सभी संकायों की वर्ष 2021 तक की मूल उपाधि जारी की जा चुकी है जो संबंधित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय पर उपलब्ध हैं। अतः परीक्षा वर्ष 2021 तक के प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु आवेदन न करें।

नोटः– पोस्टल चार्जेज के साथ ऑनलाईन आवेदन करने पर भारतीय डाक विभाग की स्पीड–पोस्ट सेवा के माध्यम से वांछित दस्तावेज दिये गये पते पर भेजे जाते हैं, अतः विधार्थियों को सलाह दी जाती है कि इस सुविधा का उपयोग कर समय की बचत करें।

19.10.23

परीक्षा नियंत्रक